संख्या-192/2021/1967/69-1-2020-20(म0ब0-83)/2018

प्रेषक,

डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2021**

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 से मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद एटा की 11 परियोजनाओं का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2378/10/छः/विविध(द्वितीय किश्त)/2019-20-एटा, दिनांक 20.10.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद एटा की न0पा0परि0 मारहरा, एटा एवं जलेसर की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण से सम्बन्धित 12 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-134/2018/325/69-1-2018-20(म0ब0-83)2018, दिनांक 28.03.2018 द्वारा रू0 124.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 62.155 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि **रू0 60.775 लाख (रूपये साठ लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूथा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक आफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
15. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
17. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

क्रमशः.....3

18. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2022 तक व्यय हो सके।

19. **प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा की होगी।**

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी आदेशों के तहत् किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-192/2021/1967(1)/69-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जनपद एटा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-192/2021/1967/69-1-2020-20(म0ब0-83)/2018, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद	निकाय/ न0पं0 का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	एटा	न0पा0परि0 मारहरा	वार्ड नं0-04 मो0 कम्बोह में हिन्दू मुस्लिम इण्टर कालेज से निरन्जन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	31.41	15.705
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 मो0 कम्बोह में निरन्जन के मकान से मायावती कन्या इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.53	12.265
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-1 मो0 महमूदगंज (कायस्थान) में रामसनेही के मकान से मुकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.01	06.005
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-1 मो0 महमूदगंज (कायस्थान) में धर्मेन्द्र के मकान से रंजीता के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	06.94	03.470
5	तदैव	न0पा0परि0एटा	मो0 कृष्णानगर में गंजहुण्डवारा रोड से विभिन्न गलियों (सुभाष, रविन्द्र सिंह, जोधासिह आदि) में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.31	09.155
6	तदैव	तदैव	मो0 जगन्नाथपुरी में कैलाशचन्द्र के मकान से टीटू हलवाई के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	03.60	01.800
7	तदैव	तदैव	मो0 लोधीनगर में लेखराज के मकान से लज्जादेवी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	05.67	02.835
8	तदैव	तदैव	मो0 लोधीनगर में जितेन्द्र वर्मा वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	09.07	04.535
9	तदैव	तदैव	मो0 लोधीनगर में चन्द्रपाल के मकान से महेशचन्द्र वर्मा, खेमकरन	05.39	02.695

			के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
10	तदैव	न0पा0परि0 जलेसर	वार्ड नं0-7 मलिन बस्ती नकटा कुआ में सोनपाल के घर से रामवीर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	01.73	00.865
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-7 मलिन बस्ती नकटा कुआ में श्यामलाल के घर से सुनहरी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	02.89	1.445
योग				**121.55**	**60.775**

(रूपये साठ लाख सतहत्तर हजार पॉच सौ मात्र)

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।